राजस्थान सरकार
निदेशालय यूनानी चिकित्सा विभाग, राजस्थान, जयपुर

आयुष भवन, सेक्टर 26, प्रताप नगर, जयपुर–302033 फोन नं. 0141–2796625 मेल directorunani@rajasthan.gov.in

क्रमांकः– प्रति.2 / परि. / अनु.नियु. / 2021–22 /

दिनांकः–

आदेश

राज्याज्ञा क्रमांक प.12(9)कार्मिक / क–2 / 2013 दिनांक 06.05.2013 के अनुसार राजस्थान राज्य मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को अनुकम्पात्मक नियुक्ति वर्ष 1996 के नियम 2(क) के अनुसार वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.1(2)एफ.डी./नियम/06 दिनांक 13.03.2006 के द्वारा दिनांक 20.01.2006 को तथा इसके पश्चात् होने वाली नियुक्तियों में 02 वर्ष के लिये प्रोवेशनरी ट्रेनी के रूप में निर्धारित पारिश्रमिक पर नियुक्ति के प्रावधानों के तहत् वित्त विभाग (नियम खण्ड) के द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी.(नियम) / 2017 जयपुर, दिनांक 30.10.2017 एवं संशोधित आदेश क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी. (नियम) / 2017 जयपुर, दिनांक 09.12.2017 राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित पे) 2017 पै मेट्रिक्स एल–1 में फिक्स वेतन 12,400 / – (अक्षरे बारह हजार चार सौ रूपये मात्र) 02 वर्ष के लिये परिवीक्षा काल में एवं अन्य कोई भत्ते देय नहीं, पर अस्थायी रूप से निम्न शर्तो / नियमों / प्रावधानों के अध्याधीन चतुर्थ श्रेणी / परिचारक पद पर नियुक्त किया जाकर पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्त स्थान पर किया जाता है।

क्र.सं.	आश्रित का नाम व पता	मृतक का नाम	संवर्ग	मृतक के साथ संबंध	आश्रित की योग्यता	जन्म दिनांक	पदस्थापन स्थान
1	श्रीमती सीता देवी, ग्राम–उमर, पो.–उमर, तह.–हिण्डोली, जिला–बूंदी (राज.) –323025	स्वर्गीय श्री शिव नारायण	एस.टी.	पत्नी	सातवीं पास	14.12.1981	राजकीय यूनानी औष., उमर–बूंदी

उक्त पदस्थापन निम्नलिखित शर्तो के अध्याधीन जारी किया जा रहा हैः–

1. परिवीक्षा अवधि में अन्य सुविधायें एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों एवं यथा संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। परिवीक्षा अवधि संतोषजनक पूर्ण करने के उपरान्त ही पद की नियमित पे मेट्रिक्स के लेवल 01 का न्यूनतम वेतन एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे।
2. उक्त अभ्यार्थियॉ को कार्यग्रहण करते समय सक्षम अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र यूनानी चिकित्साधिकारी, राजकीय यूनानी औष., उमर–बूंदी को अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा।
3. अभ्यार्थियॉ द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों में से किसी के भी फर्जी / परिवर्तित / कूटरचित पाये जाने पर नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माने जावेंगें साथ ही दोषी के विरूद्व न्यायिक / दाण्डिक कार्यवाही की जायेगी।
4. उक्त नियुक्ति संबंधित सेवा नियमों एवं सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं शर्तो के अध्याधीन होगी।
5. गर्भवती महिलाओं के लिए कार्मिक(क–2)विभाग के परिपत्र संख्या प.15(1)कार्मिक / क–2 / 74 दिनांक 16.08.2015 में वर्णित प्रावधान प्रभावी होंगें।

6. परिवीक्षा की समयावधि में कार्य सन्तोषप्रद नहीं पाये जाने पर विभाग इन्हें राज्य सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगा।

7. उक्त अभ्यार्थियॉ को नियुक्ति आदेश जारी होने की दिनांक से 10 दिवस की अवधि के अन्दर पदस्थापन स्थान पर ड्यूटी ज्वॉईन करनी होगी, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।

8. इस हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(डॉ. फय्याज अहमद)
निदेशक

क्रमांकः– प्रति.2 / परि. / अनु.नियु. / 2021–22 / 3726-32 दिनांकः– 13/12/2021

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. शासन उप सचिव, आयुष विभाग, जयपुर।
2. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर।
3. यूनानी चिकित्साधिकारी, राजकीय यूनानी औष., उमर–बूंदी को देकर लेख है कि संबंधित द्वारा सक्षम अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) द्वारा जारी स्वास्थ्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करने पर ही डयुटी ज्वाईन करावे तथा डयुटी ज्वाईनिंग रिर्पोट इस कार्यालय को प्रेषित करे।
4. संबंधित श्रीमती सीता देवी पत्नी स्वर्गीय श्री शिव नारायण, ग्राम–उमर, पो.–उमर, तह. –हिण्डोली, जिला–बूंदी (राज.) –323025
5. लेखा शाखा, यूनानी निदेशालय, जयपुर।
6. नोडल अधिकारी, विभागीय वेबसाईट, यूनानी निदेशालय, जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
7. रक्षित पत्रावली।

निदेशक

N (Rajesh Sir) (Establishment-2) Office Order